150

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा./2017/4663 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.10.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 152/अपील/2016-17

---

1. श्रीमती धापूबाई पिता हरीसिंह पति शिवसिंह
   निवासी ग्राम सुलावड
   तहसील व जिला धार
2. श्रीमती चंदाबाई पिता हरीसिंह पति साहबसिंह
   निवासी ग्राम अकोदिया
   तहसील बदनावर जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती यशोदाबाई पति छतरसिंह
   निवासी दत्तीगारा
   तहसील बदनावर जिला धार
2. बलवंत सिंह पिता नागूसिंह
   निवासी सदर .....अनावेदकगण

श्री विजय इसरारे, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री गौरव सक्सेना, अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 1

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 30/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 13.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम दत्तीगारा, तहसील बदनावर में अभिलिखित भूमिस्वामी फुलकुंवरबाई पति स्व. भुवानसिंह के स्वत्प पर सर्वे क्रमांक 43/2/1 व सर्वे क्रमांक 103 कुल रकबा 0681 हैक्टेयर एवं 1.644 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित है। अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील बदनावर के समक्ष संहिता की धारा 109-110 के अंतर्गत आवेदन पत्र भूमिस्वामी फुलकुंवरबाई द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । इसी प्रकार आवेदक क्र. 1, 2 एवं अनावेदक क्र. 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष में वसीयतनामा होने का उल्लेख करते हुए पृथक-पृथक नामांतरण हेतु आवेदन पत्र संहित प्रस्तुत किये गये । नायब तहसीलदार द्वारा तीनों प्रकरणों को एकजाई कर प्रकरण क्रमांक 17/अ-6/14-15 दर्ज कर आवेदक क्रमांक 1 व 2 को मृतक फुलकुंवरबाई का निकट संबंधी मान्य किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आदेश दिनांक 30.09.2015 से नामांतरण स्वीकृत किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बदनावर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 07.01.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13.10.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार के आदेश निरस्त किये गये तथा प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेख में अनावेदक क्रमांक 1 का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) वादग्रस्त भूमि मूलत: मूल पुरूष हरिसिंह जी की संतान पुत्र भुवानसिंह तथा दो पुत्रियां धापूबाई व चंदाबाई हैं तथा 6 बहनें मृत हो चुकी हैं। फुलकुंवर भुवानसिंह जी की पत्नी थी, भुवानसिंह जी का कोई पुत्र पुत्री नहीं थे, ला-औलाद फौत हुए, इसलिए फुलकुंवर को पति की भूमि प्राप्त हुई जो वडिलोपार्जित भूमि है, स्वअर्जित भूमि नहीं है। धापूबाई व चंदाबाई हरिसिंहजी की पुत्रियां हैं, भुवानसिंह जी की बहन है, भुवानसिंह नि:संतान था। इस तरह धापूबाई चंदाबाई वैध वारिस होने के नाते वादग्रस्त संपत्ति पर नामांतरण के अधिकारी हैं। प्रकरण में तीन वसीयतें प्रस्तुत हुई हैं, पहली अनावेदक क्र. 1, दूसरी आवेदकगण धापूबाई, चंदाबाई द्वारा एवं तीसरी बलवंतसिंह पिता नागुसिंह द्वारा।

(2) वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए राजस्व न्यायालय को अधिकार नहीं है, केवल दीवानी न्यायालय द्वारा ही वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध हो सकती है, किन्तु इस प्रकरण में पूर्व में कोई भी पक्ष वसीयत को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए दीवानी न्यायालय नहीं गया है। ऐसे में तीनों वसीयत निरस्त होने से स्वाभाविक रूप से विधिक प्रितनिधि (वैधानिक उत्तराधिकारी) को भूमि प्राप्त होगी। तहसीलदार ने सभी वसीयतों को निरस्त करने में व अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के आदेश को यथावत् रखने में कोई त्रुटि नहीं की है।

(3) वर्तमान में अनावेदक यशोदाबाई द्वारा सिविल न्यायालय में स्वत्व घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है, जो निराकृत नहीं होकर वर्तमान में विचाराधीन है। हरिसिंह जी की मृत्यु के पश्चात् विधान अनुसार हरिसिंह की सभी संतानों का अर्थात् पुत्र एवं पुत्रियों का नामांतरण होना था किन्तु पुत्रियों का नामांतरण करते हुए केवल पुत्र भुवानसिंह का नामांतरण हुआ। नामांतरण का राजस्व अभिलेख की सामान्य कार्यवाही है, राजस्व अभिलेख में नाम नहीं होने से स्वत्व समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात् हरिसिंह जी की मृत्यु के पश्चात् भुवानसिंह व आवेदकगण के स्वत्व बराबर-बराबर कायम रहे हैं। उन स्वत्व के कायम रहते फुलकुंवरबाई को किसी अन्य के पक्ष में वसीयत करने का अधिकार नहीं था ना ही विधिवत् वसीयत की गई है। अनावेदकगण ने आवेदकगण के स्वत्व समाप्त करने के लिए झूठी वसीयत प्रस्तुत की है। तीन वसीयत होने से व सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन रहते राजस्व न्यायालय को प्रकरण निराकृत करने का अधिकार नहीं होते हुए भी अपर आयुक्त ने अनावेदकगण के पक्ष में आदेश देने में गंभीर भून की है।

तर्कों के समर्थन में 2017(1) रा.नि. 328 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

4/ अनावेदक क्र. 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तहसील न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अनावेदक क्र. 1 द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामे को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 व साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68 अनुसार विधिवत प्रमाणित कराये जाने के बाद भी अवैधानिक आदेश पारित किये थे, जिसे निरस्त करने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विधि की कोई भी त्रुटि नहीं की है।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में तीन वसीयतें प्रस्तुत होने से उनका निराकरण दीवानी न्यायालय से होना निष्कर्षित किये जाने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जबकि नामांतरण प्रकरणों में राजस्व न्यायालय को संक्षिप्त जांच कर वसीयतनामे के आधार पर प्रस्तुत आवेदनों पर वसीयतनामे के साक्षियों की साक्ष्य ली जाकर वसीयतनामा विधिवत प्रमाणित होने पर नामांतरण करने का अधिकार प्राप्त होता है एवं सदर प्रकरण में अनावेदक क्र. 1 द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामे को अनुप्रमाणन साक्षी से विधिवत प्रमाणित कराया जाने के बाद भी तहसील न्यायालय ने आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की थी, जिस पर कोई विचार न कर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अवैधानिक आदेश पारित किया था, जिसे निरस्त करने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विधि की कोई भी त्रुटि नहीं की है।

(3) तहसील न्यायालय के समक्ष पटवारी द्वारा प्रस्तुत विधिक वारिसों की जांच रिपोर्ट में स्व. भुवानसिंह की आवेदकगण के अतिरिक्त अन्य 4 बहनें क्रमशः स्व. सुगनबाई, स्व. उमरावबाई, स्व. प्रतापबाई एवं स्व. दाखाबाई होने संबंधी तथ्य आने के बाद भी उक्त मृतक बहनों के वारिसों को कोई सूचना दिये तहसील न्यायालय द्वारा मात्र आवेदकगण का नामांतरण आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की थी एवं उक्त अवैधानिक आदेश को यथावत रखने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी विधि की गंभीर त्रुटि की है।

(4) तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक क्र. 1 द्वारा प्रस्तुत वसीयत के अनुप्रमाणन साक्षी के कथनों का विधिक विश्लेषण किये बिना आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की थी एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनावेदक क्र. 1 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामे के संबंध में उनके न्यायालय द्वारा विचार किया जाना संभव नहीं है। निष्कर्षित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय पर प्रकरण के समस्त तथ्यों, तर्कों एवं साक्ष्य का पूर्ण विधिक विवेचन किये जाने का दायित्व होता है, जिससे द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तहसील व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विधि विरूद्ध आदेशों को निरस्त किये जाने में विधि की कोई त्रुटि नहीं की है।

(5) तहसील न्यायालय के समक्ष प्रश्नाधीन भूमियां स्व. फुलकुंवरबाई को उनके पति से जरिये रजिस्टर्ड विभाजन लेख के आधार पर प्राप्त होने का तथ्य प्रमाणित होने के बावजूद एवं अनावेदक क्र. 1 द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित वसीयतनामे को विधिवत साक्ष्य से प्रमाणित कराये जाने के बाद भी उसका नामांतरण आवेदन निरस्त किये जाने में तहसील न्यायालय ने विधि की गंभीर त्रुटि की थी एवं उक्त अवैधानिक आदेश को यथावत रखने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी विधिक की

गंभीर त्रुटि की थी, जिससे उक्त अवैधानिक आदेशों को निरस्त किये जाने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विधि की कोई त्रुटि नहीं की है। उक्त तर्क के समर्थन में 2015 रा.नि. 94 उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(6) द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत 1989 रा.नि. 211, 1990 रा.नि. 169, 1994 रा.नि. 355, 1995 जे.एल.जे. 477, 2002 रा.नि. 49, 1985 रा.नि. 78 एवं 1979 रा. नि. 154 में पारित न्याय सिद्धांतों के अनुरूप विधिक आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की कानून से कोई आवश्यकता नहीं है।

उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 को यथावत रखने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष तीन अलग-अलग वसीयतें पेश हुई हैं, जिनके संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश में सभी साक्षियों के कथनों में विरोधाभाष होने के संबंध में विस्तृत विश्लेषण किया है । अपर आयुक्त ने मात्र अनावेदक क्रमांक 1 यशोदा बाई की वसयीत पंजीकृत होने से उसे प्रमाणित माना है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि वसीयत का पंजीकृत होना केवल एच्छिक है । तहसील न्यायालय ने वारिसान के आधार पर आवेदक पक्ष का नामांतरण करने में कोई त्रुटि नहीं की थी, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने भी की थी, जिसके पलटने के आधार अपर आयुक्त के समक्ष नहीं थे । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय एवं अनुविभगीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित हैं, जिनमें बिना किसी आधार के हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर